अपने अधिकारों को जानें!

अपने कार्य करने के अधिकार (राइट टु वर्क) के बारे में जानें

यू.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ जस्टिस (U.S. Department of Justice) के नागरिक अधिकार विभाग (सिविल राइट्स डिविज़न The Civil Rights Division) का एक कार्यालय है, जो कि यह सुनिश्चित करने को समर्पित है, कि नियोक्ता उन व्यक्तियों, जिन्हें यू.एस. में काम करने की अनुमति प्राप्त है, उनके खिलाफ उनके राष्ट्रीय मूल अथवा आप्रवासन स्थिति के आधार पर भेदभाव न करें। कुछ कामगारों को वे कहाँ से आये हैं अथवा कहाँ से आये हैं ऐसे लगते हैं (राष्ट्रीय मूल के कारण भेदभाव –नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन) के कारण, अथवा वे यू.एस के नागरिक हैं अथवा यू.एस. के नागरिक नहीं हैं (आप्रवासन स्थिति के कारण भेदभाव – इमिग्रेशन स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन) के कारण काम से निकाल देना अथवा काम पर न रखना गैरकानूनी है। कानून कामगारों को ऐसे नियोक्ताओं से भी संरक्षण प्रदान करता है, जो कि बहुत अधिक कार्य-प्राधिकरण दस्तावेज माँगते हैं अथवा भेदभाव संबंधी कारणों से वैध कार्य-प्राधिकरण दस्तावेजों को अस्वीकार करते हैं।.

मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई नियोक्ता मेरे खिलाफ भेदभाव कर रहा है?

कोई नियोक्ता राष्ट्रीय मूल अथवा आप्रवासन स्थिति के आधार पर भेदभाव कर रहा हो सकता है, यदि नियोक्ता:

- यह माँग करता है, कि कुछ कर्मचारी “ग्रीन कार्ड” दिखाएं।;
- कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों से I-9 फॉर्म भरने के लिए आवश्यक हों उससे अधिक दस्तावेजों की माँग करता है।;
- वैध कार्य-प्राधिकरण दस्तावेजों को अस्वीकार करता है।;
- कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों को नाम और सोश्यल सिक्योरिटी नंबर मैच न होने के कारण काम करना शुरू करने देने से इन्कार करता है।;
- शरणार्थियों और आश्रितों को काम पर रखने से इन्कार करता है, क्योंकि उनके पास सोश्यल सिक्योरिटी नंबर अथवा ग्रीन कार्ड नहीं है।;
- केवल यू.एस. नागरिकों को ही काम पर रखता है (अलावा इसके कि यह एक कानूनी आवश्यकता हो)।;
- कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों को नौकरी देने से पहले उनके पास से कार्य-प्राधिकरण दस्तावेजों की माँग करता है।;
- कार्य-प्राधिकरण प्राप्त कर्मचारियों को पहले उनके दस्तावेजीकृत न होने की स्थिति के बारे में झूठ बोलने के कारण काम से निकाल देता है, पर अन्य कर्मचारियों को उनकी पृष्ठभूमि के विभिन्न पहलुओं के बारे में झूठ बोलने के लिए काम से नहीं निकालता।.

E-Verify का क्या?

E-Verify एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है, जिसे कुछ चुनिन्दा नियोक्ता इस बात की पुष्टि के लिए उपयोग करते हैं, कि उनके कर्मचारियों के पास काम करने की अनुमति है। कुछ अपवादों को छोड़कर, इस प्रोग्राम का उपयोग काम पर नये-नये रखे गये कर्मचारियों के लिए उपयोग किया जाता है। रोजगार के लिए आवेदन करनेवालों पर E-Verify का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। किसी नियोक्ता का E-Verify का उपयोग राष्ट्रीय मूल अथवा आप्रवासन स्थिति के आधार पर भेदभाव करने वाला हो सकता है, यदि नियोक्ता:

- E-Verify का उपयोग केवल कुछ ही, नौकरी पर रखे जाने वाले नये लोगों की जाँच करने के लिए करता है, लेकिन सभी की नहीं।;
- E-Verify का उपयोग केवल कुछ ही वर्तमान कर्मचारियों की जाँच के लिए करता है (सामान्यतः E-Verify का उपयोग केवल नौकरी पर रखे जाने के समय किया जाना चाहिए) , लेकिन सभी की नहीं।;
- टेन्टेटिव नॉनकन्फर्मेशन्स (TNCs) वाले कुछ कर्मचारियों को काम करने देने से इन्कार करता है अथवा जब तक यह कर्मचारी अपने TNC सुधार न लें तब तक उनकी काम शुरू करने की तिथि में देर करता है।.
- कुछ चुनिन्दा कर्मचारियों से अपनेआप को E-Verify की “सेल्फ चेक” प्रणाली से गुजरने को कहता है।

यदि आपको लगे कि आप या आप जिसे जानते हैं ऐसे किसी व्यक्ति ने इस तरह के भेदभाव को सहा है, तो आपको क्या करना चाहिए?

यू.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ जस्टिस (U.S. Department of Justice) के नागरिक अधिकार विभाग (सिविल राइट्स डिविज़न The Civil Rights Division) में ऑफिस ऑफ ध स्पेश्यल काउन्सेल फॉर इमिग्रेशन रिलेटेड अनफेयर एम्प्लोयमेन्ट प्रेक्टिसिज़ (आप्रवासन संबंधी अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए खास वकील के कार्यालय) (OSC) को उसके वर्कर हॉटलाइन नंबर **1-800-255-7688** पर **सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे ई.एस.टी. तक** फोन करें। (सुनने में समस्या वाले व्यक्तियों के लिए TDD: 1-800-237-2515)। आपके लिए अपना नाम बताना आवश्यक नहीं है, और आपकी सहायता के लिए दुभाषिये उपलब्ध हैं। **हॉटलाइन से संपर्क करने के कारण किसी को भी डराना, धमकाना, अथवा उससे बदला लेना किसी भी नियोक्ता के लिए गैरकानूनी है।** अधिक जानकारी के लिए हॉटलाइन पर फोन करें अथवा यहाँ जाएं http://www.justice.gov/crt/about/osc.